


FORM III  
फर्द अहकाम  
( नियम 26 )

अज्ञ अदालत ..... मुकाम  
..... बनाम .....  
किस्म मुकदमा ..... नं. .... सन् .....

तारीख हुकम	मुकदमा नम्बर- 333/2022 हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज रामजीलाल बनाम छाजूसिंह वर्ग	नंबर अहक हुकम में
60 27	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपरिथत। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान की माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी रिथति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 14.06.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)